न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
दायरा तिथि : 21.02.2022
फैसला तिथि : 14.09.2022

प्रार्थी :–
ब्रिगेडियर श्री करणसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपुत
निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. श्री अभयसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपुत
   निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री हनुमानसिंह चौहान..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमृत परिहार..... अभिभाषक अप्रार्थी संख्या –01 की ओर से
3. श्री ललित कुमार....नायब तहसीलदार दृपैरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक 14.09.2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम श्री सेला पटवार हल्का, धणी में खसरा नंबर 2, 3, 4 कुल खसरा–03 कुल रकबा 15.93 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यो के नाम सह खातेदारी में धारित की जा रही है। उक्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में वर्तमान रिकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में प्रार्थी का 7/20 हिस्सा एवं अभयसिंह पुत्र पदमसिंह का 13/20 हिस्सा त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्ज है। उक्त भूमि सवंत् 2065 से 2068 के अधिकार अभिलेखो में प्रार्थी व उसकी माता प्रतापकंवर के नाम से इन्द्राज चल रही थी। अतः रिकार्ड शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से तलब की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान से वर्णित भूमि के रिकार्ड की नकले प्रस्तुत करते हुये कोर्ट प्रक्रिया में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन पत्र पेश कर ग्राम सेला में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 03 व 04 कुल खसरा–02 कुल रकबा सवा 98 बीघा 03 बिस्वा की स्थिति निम्न प्रकार बताईः–

1. यह हैं कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता श्री रणजीतसिंह के नाम की खातेदारी भूमि थी। जिन्होने अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 03 रकबा साढा चौपन बीघा एक बिस्वा भूमि प्रार्थी करणसिंह के नाम तथा खसरा नंबर 04 रकबा पौने चवालिस बीघा दो बिस्वा भूमि रणजीतसिंह की पत्नि व प्रार्थी की माता श्रीमति प्रतापकंवर के नाम दिनांक 24.03.1972 को अलग–अलग बख्शीशनामा के जरिये बख्शीश की। जिससे दिनांक 24.3.1972 के पश्चात् खसारा नंबर 03 रकबा साढे 54 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार हुआ तथा खसरा नंबर 03 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा की खातेदार प्रार्थी की माता प्रतापकंवर हुई। भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् खसरा नंबर 03 व 04 के हाल खसरा नंबर 02 कायम करते हुये प्रार्थी व प्रार्थी की माता श्रीमति प्रतापकंवर की भूमि को शामिल कर दिया व इसका रकबा 15.77 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 03 रकवा 0.02 हैक्टर गै.मु. बेरा, तथा खसरा नंबर 04 रकबा 0.14 हैक्टर गै.मु. गुआ दर्ज कर दिया। जबकि पुराने खसारा नंबर 03 की भूमि प्रार्थी अकेले की भूमि है। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपुर्ण कार्यवाही करते हुये भूमि को संयुक्त में दर्ज कर दिया।

2. यह हैं कि श्रीमति प्रतापकंवर के देहान्त के बाद उनके वारिसदार में प्रार्थी व स्व0 पदमसिंह के कायम मुकाम अभयसिंह वगैरा एवं प्रतापकंवर की पुत्रियो अनिलेश वगैरा का नाम दर्ज किया गया, लेकिन हिस्सा करसी दर्ज नहीं की गई। इसके पश्चात् श्रीमति प्रतापकंवर की पुत्रीया अनिलेश, आशा, व चन्द्रप्रभा ने जरिये रजिस्टर्ड हकर्तनामे के उनका जो भी हिस्सा विरासत में होता हैं का 1/2 के अनुपात में प्रार्थी व स्व0 पदनगसिंह के वारिस अभयसिंह के पक्ष में त्याग किये जिसका नामान्तरकरण संख्या 929 दिनांक 21.12.2020 स्वीकृत किया गया।

3. यह हैं कि दिनांक 22.06.2021 को अप्रार्थी संख्या–01 ने उसकी बहनो से हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवाया। जिससे पृष्ठ संख्या 03 पर खाता संख्या 43 की भूमि में खसरा नंबर 2, 3, 4 की भूमि तो बताई है परन्तु उसमें हिस्सा भी दर्ज नहीं होते हुए अवैद्य रूप से सरासर मिथ्या तथ्य दर्ज कर तीनो बहनो का 3/8 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जबकि इस भूमि में उनका नाम केवल श्रीमति प्रतापकंवर के स्वर्गीय होने पर उनकी विरासत में नाम दर्ज किये हैं।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
अनवान् ब्रिगेडियर श्री करणसिंह बनाम अभयसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

जो केवल प्रतापकंवर की भूमि में प्राप्त विरासत के अधिकार के ही हकदार व अधिकारी थे जो भूमि 43 बीघा 17 बिस्वा में प्रार्थी व उपरोक्तानुसार तीनो बहनो व पदमसिंहजी के वारिसान का नाम दर्ज हुआ। इसके अनुसार हक तर्कनामा 1/8 के अनुसार 3/8 हिस्सा गलत दर्ज किया हैं। जबकि इनका स्व0 प्रतापकंवर के हिस्सा का 1/20 के अनुपात में आता हैं।

4.यह हैं कि स्व0 प्रतापकंवर की भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा, श्रीमति अनिलेश 1/5 हिस्सा, श्रीमति आशा 1/5 हिस्सा व चन्द्रप्रभा 1/5 हिस्सा तथा पदमसिंह का 1/5 हिस्सा आता हैं जिसके अनुसार प्रत्येक के 08.634 बीघा भूमि आती है। एवं इस 08.643 बीघा में अप्रार्थी संख्या 01 एवं सरोज कंवर, सूनीता कंवर व बबीता कंवर का हिस्सा संयुक्त आता है। जो 08.643÷4=2.1585 बीघा प्रत्येक का हिस्सा होता है। एवं साढे 54 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार प्रार्थी स्वयं है। तथा प्रार्थी के हिस्से में श्रीमति अनिलेश, श्रीमति आशा, श्रीमति चन्द्रप्रभा का हिस्सा 08.634X3=25.902 बीघा का 1/2 हिस्सा=12.951 बीघा प्रार्थी को व 1/2 हिस्सा 12.951 बीघा अप्रार्थी संख्या–01 को हक तर्क करने से प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रार्थी का हिस्सा साढे 54 बीघा 01 बिस्वा + 8.634+12.951=75.695 बीघा होते हैं व हैक्टर के अनुसार 12.1112 हैक्टर होते है। व अप्रार्थी संख्या 01 के 08.634+12.951=21.585 बीघा होते है जो 03. 4536 हैक्टर के समतूल्य होता है। जबकि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या–01 का 13/20 हिस्सा एवं प्रार्थी का 7/20 हिस्सा ही गलत तौर पर वर्णित किया गया है, जिन दर्ज हिस्सो के अनुसार अप्रार्थी के 64.71 बीघा अर्थात् 10.3545 हैक्टर भूमि तथा प्रार्थी के हिस्से में 34.84 बीघा अर्थात् 5.5755 हैक्टर ही भूमि दर्ज बताई गई है। जो त्रुटिपुर्ण इन्द्राज होने से प्रार्थी के नाम 75.695 बीघा के तूल्य 12.1112 हैक्टर भूमि एवं अप्रार्थी संख्या–02 के नाम 21.585 बीघा के तूल्य 03.4536 हैक्टर की खातेदारी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नकल पासबुक श्री रणजीतसिंहजी पुत्र भीमसिंहजी, नकल नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 25.01.1979 की प्रति, नकल फैसला सिलिंग प्रकरण संख्या 347/79, नकल बख्शीशनामा दिनांक 24.03.1972 करणसिंह जो श्री रणजीतसिंह ने किया, नकल नक्शा भूमि खसरा नंबर 3, 4 मौजा सेला , नकल बख्शीशनामा प्रतापकंवर पत्नि रणजीतसिंहजी ने दिनांक 24.03. 1972, नकल जमाबंदी सवंत् 2031 से 2034, नकल भूमि प्रमाण पत्र, नकल राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, नकल जमाबंदी भू0प्रबन्ध संवत् 2031 से 2033, नकल पासबुक करणसिंह, प्रतापकंवर, नकल जमाबंदी संवत् 2069 से 2072, नकल हकतर्कनामा अनिलेश वगैरा दिनांक 12.02.1990, नकल हकतर्कनामा सरोज, सुनीता एवं बबीता जो अभयसिंह के पक्ष में दिनांक 22.06.2021 को किया, नकल नामान्तकरण संख्या 944 दिनांक 06.08.2021, नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, नकल इकरारनामा दिनांक 13.07.2010, नकल बख्शीशनामा पदमसिंह जो रणजीतसिंह ने दिनांक 24.03.1972 को किया।

प्रार्थी के प्रार्थना का जवाब अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से निम्नानुसार पेश किया गयाः–

1. पद संख्या–01 में वर्णित भूमि दिनांक 24.03.1972 को दो अलग–अलग बख्शीशनामो से बख्शीश किन परिस्थितियों में किये गये, अप्रार्थी संख्या–01 का जन्म दिनांक 29.09.1972 का होने से इन तथ्यो के बारे में अप्रार्थी संख्या–01 को जानकारी नहीं है। अप्रार्थी को सिलिंग प्रकरण संख्या 347/79 सरकार बनाम श्री रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंहजी राजपूत निवासी सेला(प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी के दादा) में पारित निर्णय दिनांक 17.09.1980 के तहत अप्रार्थी के पिता पदमसिंह पुत्र रणजीतसिंह के बंट में 87.5 बीघा एवं प्रार्थी करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह के बंट में 91.17 बीघा भूमि मानी है। प्रमाण में प्रार्थी के जन्म दिनांक से सबंधित दस्तावेज एवं सिलिंग प्रकरण संख्या 347/79 सरकार बनाम रणजीतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 17.09.1980 की प्रति पेश की गई।

2. पद संख्या दो प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। उक्त पद में उल्लेखित कृषि भूमि प्रार्थी एवं श्रीमति प्रतापकंवर के संयुक्त खातेदार में रखे जाने से सबंधित आदेश म्यूटेशन कार्यवाही को प्रार्थी द्वारा आदिवस तक प्रश्नगत कर सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया हैं। जिसके अभाव में प्रार्थी उक्त आवेदन के जरिये चुनौती नहीं दे सकता हैं।

3. पद संख्या तीन प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।

4. पद संख्या चार प्रार्थना में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। अप्रार्थी द्वारा की गयी जानकारी के अनुसार सैटलमेन्ट विभाग द्वारा भू0प्रबन्ध की कार्यवाही वर्ष 1973 से 1983 के मध्य सम्पन्न की गयी हैं तत्समय अप्रार्थी अव्यस्क था। सैटलमेन्ट के द्वारा पूर्व इन्द्राजो को मात्र बीघा से हैक्टेयर में कन्वर्ट कर एवं भूमि की किस्म भौतिक स्थिति के अनुसार निर्धारित करना मात्र था। भू0प्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय की डिक्री, निर्णय, आदेश विधि अनुसार निष्पादित पंजीबद्ध हस्तान्तरण विलेख के आधार पर ही रद्दोबदोल करने का ही अधिकार था। अप्रार्थी का सैटलमेन्ट कार्यवाही शुरू किये जाने के पूर्व ही जन्म हुआ था एवं सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान् उम्र से अल्प व्यस्क था।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
अनवान् ब्रिगेडियर श्री करणसिंह बनाम अभयसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित इन्द्राजो को रखे जाने, रद्दोबदल किये जाने इत्यादि के लिये अप्रार्थी की ओर से कभी भी यानि आदिवस तक कोई आवेदन राजस्व विभाग, सैटलमेन्ट विभाग में नहीं किया गया है बल्कि प्रार्थी श्री करणसिंह जी अप्रार्थी के बडे पिता है ने राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित इन्द्राजो को गत करीब पांच दशक से स्वीकार करते हुए आ रहे है जिनको इस संक्षिप्त प्रकृति की कार्यवाही के माध्यम से चुनौती देने से विबन्धित हैं।

5. पद संख्या पांच प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार हैं। राजस्व रेकर्ड में स्व0 श्रीमति प्रताप कंवर का उत्तराधिकार नामान्तरकरण की स्वाभाविक कार्यवाही के तहत वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित किया गया हैं। उक्त इन्द्राजो को प्रार्थी ने सहर्ष स्वीकार किया है।

6. पद संख्या 06 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित हकतर्कनामा दिनांक 12/02/2020 द्वारा निष्पादित श्रीमति अनिलेश, आशा, चन्द्रप्रभा पुत्रीया रणजीतसिंह राजपुत बहक 1– करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह (प्रार्थी) 2– अभयसिंह पुत्र स्व0 पदमसिंह (अप्रार्थी संख्या एक) के हक में प्रार्थी श्री करणसिंह एवं उनके अधिवक्ता ने विवादित कृषि भूमि के इन्द्राजो को स्वीकार करते हुए हकतर्कनामा के निष्पादन पंजीयन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए करवाया हैं एवं नामान्तरकरण संख्या 929 स्वीकृति दिनांक 21/12/20 की कार्यवाही सम्पन्न करवायी हैं।

7. पद संख्या 07 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन का जवाब हैं कि जिन राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजो को प्रार्थी ने स्वीकारते हुये दिनांक 12/02/2020 को हक त्याग विलेख निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया एवं नामान्तरकरण संख्या 929 दिनांक 21/12/2020 को स्वीकृत करवाया था के तहत उल्लेखित इन्द्राजो के अनुसारण में ही हक त्याग विलेख दिनांक 22/6/2021 का निष्पादन, पंजीयन राजस्व रेकर्ड में उल्लेखित दोनो बख्शीशनामो सैटलमेंट पूर्व के इन्द्राजो की जानकारी अप्रार्थी को इस प्रकार के आवेदन की प्रति प्राप्त होने के बाद ही हुई हैं। इससे पूर्व अप्रार्थी को बख्शीशनामा व पूर्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विशेष अधिनियम हैं, में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के तहत हक त्याग विलेख अनुज्ञेय (Permisiable) नहीं है। जिससे उक्त प्रकरण में श्रीमति अनिलेश, आशा, चन्द्रप्रभा पुत्रियष स्व0 रणजीतसिंहजी एवं सरोज कंवर, सुनीता कंवर, बबीताकंवर पुत्रिया स्व0 पदमसिंह आवश्यक पक्षकार हैं। उक्त आवश्यक पक्षकारो के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी तौर से पोषणीय नहीं हैं।

8. पद संख्या 08 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मनगढन्त, काल्पनिक हिस्सा–कस्सी, सिलिंग प्रकरण के निर्णय दिनांक 17/09/1980 के विरूद्व उल्लेखित किये हैं एवं कृषि भूमियो के सह खातेदारी हक अधिकारो के हिस्से की घोषणा हेतु धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अलग से प्रावधान दिये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त आवेदन के तहत प्रार्थी को प्रदत्त नहीं किया जा सकता है।

अपने जवाब के उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य अप्रार्थी के जन्म तिथी के प्रमाण स्वरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थन अजमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.88 की फोटो प्रति पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–01 का जवाब प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री हनुमानसिंह चौहान ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि सैटलमेंट के पुर्व के खसरा नंबर 03 रकबा साढे 54 बीघा 01 बिस्वा दिनांक 24.03.1972 को उनके पिता रणजीतसिंह द्वारा बख्शीश करने से प्राप्त हुआ। तथा खसरा नंबर 04 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा भूमि उनकी माता प्रतापकंवर के नाम बख्शीश करने से माता प्रतापकंवर के देहान्त के बाद प्रतापकंवर की धारित भूमि 43 बीघा 17 बिस्वा में 1/5 हिस्सा अनुसार 08.634 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा इसके साथ ही बहनो अनिलेश, आशा व चन्द्रप्रभा द्वारा प्रतापकंवर से प्राप्त 3/5 हिस्सा का 1/2 हिस्सा प्रार्थी को हकतर्क करने से प्रार्थी को 3/10 हिस्सा में 12.951 बीघा भूमि और प्राप्त हुई। इसके अनुसार प्रार्थी के कुल भूमि साढे 54 बीघा 01 बिस्वा + 08.634 +12.951 बीघा =75.695 बीघा अर्थात् 12.1112 हैक्टर भूमि खातेदारी में होनी चाहिये। तथा अप्रार्थी संख्या–01 के 21.585 बीघा अर्थात् 03.4536 हैक्टर भूमि होनी चाहिये। परन्तु राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपुर्ण तौर पर प्रार्थी का 7/20 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या–01 का 13/20 हिस्सा दर्ज है। जिसके अनुसार प्रार्थी के हक हिस्से में 34.84 बीघा अर्थात 5.5755 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या–01 के हक हिस्से में 64.71 बीघा अर्थात् 10.3545 हैक्टर बनती है। जो इन्द्राज सरासर गलत एवं त्रुटिपुर्ण होने से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अनुसार इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार..04

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

खण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
अनवान् ब्रिगेडियर श्री करणसिंह बनाम अभयसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटिपुर्ण कार्यवाही को दुरस्त किये जाने के अधिकार ही उपखण्ड अधिकारी को बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर प्राप्त है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण में कहीं पर यह प्रमाणित नहीं हैं कि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रेकर्ड में गलत अथवा त्रुटिपुर्ण इन्द्राज किये गये है। प्रार्थी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में प्रार्थी करणसिंह एवं प्रार्थी की माता प्रतापकंवर का नाम दर्ज है। तथा इसके पश्चात् प्रतापकंवर के फौत होने पर हिन्दु उत्तराधिकारिता के तहत नामान्तरकरण हुये है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी संख्या–01 के जन्म से पुर्व के बख्शीशनामे जो कि प्रार्थी के पिता रणजीतसिंहजी द्वारा दिनांक 24.03.1972 को किये गये, उन बख्शीशनामो को आधार बनाते हुये वादग्रस्त भूमि में 75.695 बीघा के तूल्य 12.1112 हैक्टर की खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से चाह रहा है। धारा 136 के तहत प्रार्थी का उक्त अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है, इसके लिये प्रार्थी को प्रोपर फोर्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणात्मक वाद के माध्यम से वर्तमान रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज को चुनौती देते हुये ही कार्यवाही करनी होगी। धारा 136 के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये:–

1. **RRT 2011–12 (Supp.) पेज 284 जिसके अनुसार** – राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 – धारा 136– प्रविष्टियो को दुरूस्त करने हेतु आवेदन स्वीकार किया– रेकाड में प्रवष्टियों को दुरूस्त केवल वाद पेश करके किया जा सकता है न कि धारा 136 के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही के अन्तर्गत पारित आदेश उचित नहीं हैं व अपास्त होने योग्य हैं। (पैरा 15, 16)
2. **RRT 2015 (1) पेज 10 जिसके अनुसार** – राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 136– राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज की दुरूस्ती – व्याप्ति– एस.डी.ओ. ने राजस्थान राज्य के स्थान पर रेस्पोण्डेन्ट्स का नाम प्रविष्ट करने का आदेश दिया– 1955 से प्रश्नगत भूमि राज्य के नाम थी– धारा 136 के अन्तर्गत एस.डी.ओ द्वारा शक्ति का उपयोग करना न्याय संगत नहीं था– उपयुक्त उपचार का अवलम्ब लेकर स्वत्व को साबित करना रेस्पोण्डेन्ट्स के लिये आवश्यक था– राज्य का नाम विलोपित किया जा सकता था जब रेस्पोण्डन्ट्स भूमि का स्वत्व साबित करे– निर्णीत, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय बहा किया। (पैरा 9)
   राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 136 – व्याप्ति– राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियॉ धारा 136 के अन्तर्गत परिशोधित की जा सकती है। (पैरा 7)
3. **RRT 2017 (2) पेज 1264 जिसके अनुसार** –राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956–धारा 136 व 76– रेकॉर्ड में इन्द्रा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर ने आ.नं. 642 की 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि रेल्वे के नाम दर्ज करने का आदेश दिया– मामला धारा 136 क अन्तर्गत आवृत नहीं होता है– लिपिकीय त्रुटि सही की जा सकती है अथवा पक्षकारों की सहमति से कोई भी त्रुटि सही की जा सकती हैं– निर्णीत, निचले न्यायालयों ने विधि के प्रतिकुल आदेश पारित किये व अपास्त किये। (पैरा 9, 10)
   जिससे इन कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में जाहिर हैं कि प्रार्थी ने इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि ग्राम सेला तहसील बाली के खसरा नंबर 02, 03, 04 कुल खसरा–03 कुल रकबा 15.93 हैक्टर में प्रार्थी को 75.695 बीघा के तूल्य 12.1112 हैक्टर भूमि का एवं अप्रार्थी संख्या –01 को 21.585 बीघा के तूल्य 3.536 हैक्टर का खातेदार दर्ज किये जाने की मांग जरूर की गई है, परन्तु प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में हाल खसरा नंबर 2, 3, 4 के गत् खसरा नंबर क्या रहे है, इस तथ्य की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है, एवं साथ ही गत् खसरा नंबर 3 रकबा 54 बीघा 11 बिस्वा की भू0प्रबन्ध की जमाबंदी ही पेश की है, गत् खसरा नंबर 04 रकबा पौने 44 बीघा 02 बिस्वा की जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में विधि के प्रावधानो के तहत भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटियो को दोनो पक्षो के सहमत होने पर सुधारा जा सकता है। इसके लिये प्रार्थी को चाहिये था, कि भू0 प्रबन्ध पुर्व के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रतियॉ प्रस्तुत करते, तथा गत् खसरा नंबर 03 व 04 के हाल खसरा नंबर क्या– क्या बने , इसकी पुष्टि बाबत् मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रस्तुत करते, तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर की जमाबंदी की प्रति पेश करते ।

पेज लगातार. .05

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/73
अनवान् ब्रिगेडियर श्री करणसिंह बनाम अभयसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रति ही पेश की गई। जिसमें दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि सेला तहसील बाली के खसरा नंबर 02, 03, 04 कुल खसरा–03 कुल रकबा 15.93 हैक्टर में बतौर खातेदार करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह, प्रतापकंवर बवा रणजीतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में इसी को आधार बनाते हुये उक्त इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्ट्या उक्त प्रकरण में भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि साबित नहीं होती है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपना अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा खातेदारी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 14-3-22 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner